"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Repealing and Amending Bill, 2014, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 8th December, 2014."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Minister to reply.

GOVERNMENT BILLS

The Textile undertakings (Nationalisation) Laws (Amendment and Validation) Bill, 2014 — *Contd.*

श्री संतोष कुमार गंगवार : सर, आपका और सदन के सभी सदस्यों का बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी हमारे 18 माननीय सदस्यों ने इस बिल के ऊपर अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सबने हमारे सुझाव का समर्थन किया। मैं यह तो नहीं कहना चाहूंगा कि एन.टी.सी. का जो कुछ घटनाक्रम था, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है। हमको जो और जैसी चीज़ विरासत में मिली, उसी सम्पत्ति को हम बचाना चाहते थे। जैसे ही हम सत्ता में आए, हमें लगा कि कुछ जमीनें तुरन्त ही हमारे पास से जा रही हैं। उनको रोकने के लिए जब तत्काल ही कोई रास्ता तलाशने की जरूरत हुई, तो हमें लगा कि ऑर्डिनेंस लाने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। ऑर्डिनेंस लाने का इस सरकार का कोई इरादा नहीं था, लेकिन इस समय यह अत्यंत आवश्यक है, इसीलिए ऑर्डिनेंस लाया गया। हमें प्रसन्नता है कि लोक सभा में भी सभी साथियों ने इस विषय पर अपने विचार रखे और यहां पर सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचारों को रखते हुए इसका समर्थन किया।

एक बात मैं मुख्य रूप से आपको बताना चाहूंगा, ऑर्डिनेंस के माध्यम से मिलें बचाने का यह मतलब नहीं है कि एन.टी.सी. को जो मिलें मिल रही हैं, उनको हम बेचने का काम करेंगे। हमारी सरकार का इन मिलों को बेचने का कोई उद्देश्य नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी की नज़र में टैक्सटाइल एक मुख्य क्षेत्र है, यह बात हम सभी जानते हैं। हमारे कई साथियों ने स्वयं कहा है कि कृषि के बाद दूसरे नम्बर पर टैक्सटाइल ही ऐसा क्षेत्र है, जिसके अन्दर रोज़गार के अवसर हैं, काम है। हम इसको सही तरीके से और सही रूप में आगे ले जाना चाहते हैं।

अभी आदरणीय श्री मधुसूदन मिस्त्री जी अपनी बात कह रहे थे। मेरी जानकारी के अनुसार खादी का अगर कहीं सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, तो वह गुजरात में ही होता है। वहां पर लोगों की इसमें रुचि है, उसी के हिसाब से लोग इससे जुड़ रहे हैं। हिन्दुस्तान के अन्दर ऐसे कई क्षेत्र हैं, जिनकी पहचान लोग मेन्चेस्टर के रूप में करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बीते वर्षों में हम लोगों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। आज हमको यह जो विरासत मिली है, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जब मिलें अधिगृहीत की गईं, तो फाइनली 119 मिलें थीं, जिनमें से आई.डी. ऐक्ट के अन्दर 78 मिलें बन्द हो चुकी हैं।

[श्री संतोष कुमार गंगवार]

पुडुचेरी सरकार को 2 मिलें दी गईं। अभी हमारे भाई अच्युतन जी पुडुचेरी मिल के बारे में कह रहे थे। मैं आपके संज्ञान में यह लाना चाहूंगा कि इसके बारे में वहां के मुख्यमत्री से हमारी बात हो चुकी है और हम उनके सुझावों को मान रहे हैं। जिस ढंग से वे वह प्रस्ताव दे रहे हैं, उस प्रस्ताव को मानकर, उसे पूरा करने की दिशा में हमारी उनसे बातचीत हो चुकी हैं।

महोदय, मैं यह बता रहा था कि इस समय 23 मिलें चल रही हैं। 5 मिलें Joint Venture में चल रही हैं। Joint Venture की जांच मिलें तो लाभ में चल रही हैं, लेकिन 11 मिलें डिस्प्यूट में आ गई हैं और arbitrator के अंतर्गत हैं। इसी महीने की 10, 11, 12 तारीख को इनके बारे में फैसला होने जा रहा है। हम यही चाहते हैं कि कोई भी फैसला जल्दी हो जाए, ताकि दोबारा हम इनको लेकर आएं।

जैसा मैंने प्रारम्भ में बताया था, जो मिलें हम लोग या एन.टी.सी. चला रही है, उनमें से पांच मिलें इस समय फायदे में हैं। हमारी रुचि यह है कि जिस ढंग से हमने इसकी जानकारी ली है, आने वाले तीन महीनों में कम से कम छह और मिलें हम फायदे में लाना चाहते हैं। अगले बजट सत्र में यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता होगी कि एन.टी.सी. की 10 से ऊपर मिलें फायदे में चल रही हैं। जैसा मैंने प्रारम्भ में बताया, एन.टी.सी. अब बी.आई.एफ.आर. से बाहर आ गई है। हम इसको एक सही ढंग से करना चाहते हैं। परन्तु यह बात बिल्कुल सही है कि हमारे साथियों का सुझाव, कहना और मानना कि हम इन जमीनों का क्या करेंगे? जो अन्य हिसाब-किताब है, जैसे एक साथी ने बताया कि जमीन बेच कर आप क्या करेंगे? तो अब तक जो जमीनें बेची गई हैं, वे 6,547 करोड़ रुपये की जमीनें बेची गई हैं, जिसकी जानकारी अभी मिली है। मॉडर्नाइजेशन पर 1,618 करोड़ रुपये खर्च हुए। हमने जो वी.आर.एस. दिया है, वह भी ठीक ही दिया है। उस समय के हिसाब से वी.आर.एस. पर 2,379 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। वेजेज़ पर 2,388 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। अब हमारे पास वर्तमान में 1,480 करोड़ रुपये शेष हैं और इसको हम भविष्य में इस निर्णय के बाद, जब फैसला हो जाएगा, इसके बाद हम मॉडर्नाइजेशन पर और अन्य कार्यों पर खर्च करेंगे, मैं इतना ही बता सकता हूं।

सर, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बिल, इस अधिनियम में थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना था, उसके लिए लाया गया है। हमने एन.टी.सी. द्वारा मॉडर्नाइजेशन की योजना बनाई है और बी.आई.एफ.आर. से उसकी स्वीकृति भी मिल गई है, इसी को ही क्रियान्वित किया जा रहा है। हम लोगों ने 50 प्रतिशत मॉडर्नाइजेशन का लेवल प्राप्त कर लिया है और शेष अभी प्राप्त किया जाना बाकी है। बी.आई.एफ.आर. द्वारा जिन मिलों को न चलाने का फैसला दिया गया, उनके सभी श्रमिकों को हमने आकर्षक सेवानिवृत्ति का लाभ भी दिया है। मैं यह इसलिए बताना चाहता हूं कि हमारी रुचि इसमें नहीं है कि मजदूरों को सेवा से अलग किया जाए। आज वर्तमान में 8,000 स्थायी श्रमिक और 3,000 दैनिक वेतन वाले श्रमिक हमारे साथ कार्यरत हैं। तो यह संख्या करीब 11,000 है। हम और आगे बढ़ना चाहते हैं कि कैसे अधिकतम लोगों को रोजगार दे सकें, तो उसके हिसाब से हम मिल कर काम कर रहे हैं। हमने बहुत सी योजनाएं बनायी हैं। हम उसके लिए बैठ कर बातचीत कर रहे हैं। हम जमीन का कैसे उपयोग करेंगे, इसके बारे में बहुत से लोगों से

बातचीत कर रहे हैं। जैसे, हम लोगों ने अपनी टेक्सटाइल पॉलिसी अभी नेट पर डाली हुई है। हम उस पर लोगों से सुझाव ले रहे हैं और हम जल्दी ही सबको साथ में लेकर एक अच्छी तथा आकर्षक टैक्सटाइल पॉलिसी लाना चाहते हैं। हमने बहुत से काम शुरू कर दिए हैं। आपको ध्यान होगा कि हमने वाराणसी में स्किल डेवलपमेंट का एक बड़ा केन्द्र खोला है और उस पर 200 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। स्किल विकास केन्द्र में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के लोगों को शामिल करने की योजना है। इनक्यूबेशन सेंटर भी शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तय किया गया है। जिनिंग मिल्स की भी बात हो गई है। कपास उत्पादन वाले राज्यों में इस काम को करने का निर्णय लिया गया है। वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में डिजायनिंग स्टूडियो बड़े शहरों में बनाने की बात हम लोग तय कर रहे हैं। वस्त्र के व्यापार केन्द्र भी बड़े शहरों में हैं। वस्त्र बनाने के कारखाने भी शहरी और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में हैं। तागा कताई, कपड़ा बुनाई और कपड़ा प्रसंस्करण कारखाने ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में हैं। टैक्सटाइल प्लाजा राज्यों में राजधानियों और बड़े शहरों में हैं। यह मैं इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग एक योजना बना रहे हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि देशवासियों को भी लगे कि अब टैक्सटाइल सही ढंग से काम कर रहा है। मुझे यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि पिछले दस वर्षों में लोग टैक्सटाइल को भूल गये। लोगों को लगा कि टेक्सटाइल कोई बहुत निचली प्राथमिकता का क्षेत्र है, परन्तु ऐसा नहीं है। यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। जैसे, हमारे आदरणीय मिस्त्री जी कह रहे थे कि जिस ढंग से हम लोग काम कर रहे हैं और हम यह देख रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि यह काम - अब जैसे मैं अगर हैंडीक्राफ्ट की बात करूं, तो हैंडीक्राफ्ट के अन्दर वे विशेषताएं हैं कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते और यह बात सही है। आदरणीय शरद यादव जी यहां पर कह रहे थे कि चाइल्ड लेबर का आरोप जो लगता है, बहुत गलत लगता है। मैं जिस जिले से आता हूं, वहां पर हैंडीक्राफ्ट का एक बड़ा काम होता है। देश के अन्य हिस्सों में भी होता है। वह काम होता है - जरा-ज़रदोजी का। उसमें पूरा परिवार लगता है, परिवार के बच्चे भी लगते हैं। वहां पर जो सर्वे हुआ है, तो उस सर्वे से पता चला है कि जिन परिवारों के बेटे-बेटियां छोटेपन से काम करते हैं, तो उससे एक तो उनके अन्दर काम में विशेषता बढ़ जाती है, एक प्रकार की फाइननेस आ जाती है और दूसरी एक खास बात यह भी देखने को मिली कि उन बच्चों की उंगलियां लम्बी हो जाती हैं। अब इसे हम चाइल्ड लेबर नहीं कह सकते, परन्तु दुर्भाग्य यह है कि हमारी इस कला को लोग दूसरे देशों में जाकर विपरीत ढंग से प्रस्तुत करने का काम करते हैं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि हैंडीक्राफ्ट बहुत बड़ा क्षेत्र है। हमारे उत्तर प्रदेश के एक सांसद बोल रहे थे और मुझे लगता है कि हर जिले में, हर दूसरे-तीसरे जिले में हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई आइटम आपको मिलेगा, जैसे कहीं दरी मिलेगी, तो कहीं कालीन मिलेगा। मैं तो जिस जिले से आता हूं, वहां पर पतंग और डोर का व्यापार देश ही नहीं देश के बाहर भी बहुत अच्छी मात्रा में चलता है और लोग उसको देखते तथा जानते भी हैं। मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि चुनाव के दौरान जब माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे क्षेत्र, बरेली में चुनाव का प्रचार करने आए थे, तब मैंने उनसे कहा था कि साहब, चीन का बना हुआ जो धागा आ रहा है, वह बहुत नुकसानदेह है, उस पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए और हम इस बात को समझते और जानते हैं। हमारे इस सुझाव को माना भी गया और मैंने कॉमर्स मिनिस्ट्री से भी आग्रह किया है कि इसको रोका जाए और हमारे देश के हिसाब-किताब को कैसे प्रमोट किया

[श्री संतोष कुमार गंगवार]

जाए, यह हमारी मिलीजुली रुचि और इच्छा का विषय है। इसके हिसाब से हम सब लोग मिल कर काम कर रहे हैं। हम सारे क्षेत्रों की पहचान कर रहे हैं। इस बार के बजट में हमने माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह किया था कि वित्त मंत्री जी ने आठ स्थानों पर टैक्सटाइल क्लस्टर की घोषणा की थी। हमें यह भी ध्यान है कि एस.आई.टी.पी. का हमारा एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है और एस.आई.टी.पी. के तहत जो टैक्सटाइल पार्क्स की स्थापना हो रही है, अब तक जितने कर रहे हैं, आज ही हम उसकी समीक्षा करके आ रहे हैं, जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जिनका काम शुरू नहीं हो पा रहा है, उसका कारण क्या है? कारण को दूर करके पूरा करें और अभी एक महीने पहले हम लोगों ने 13 टैक्सटाइल पार्क्स की घोषणा की है। आने वाले समय में, फिर बहुत जल्दी ही एक महीने में हम 15 के आस-पास पार्कों की घोषणा करने वाले हैं और इसमें हम और भी एक विशेषता ले आए हैं। हमने तय किया है कि पूर्वोत्तर राज्यों में निश्चित रूप से एक पार्क लगेगा। हमने यह भी तय किया है कि जिन राज्यों में टैक्सटाइल पार्क अभी तक नहीं लगे हैं, 25 प्रतिशत पार्कों का आरक्षण हम उन राज्यों के लिए करेंगे। हम हर तरफ इसको ले जाना चाहते हैं। आज इसके हिसाब से हम सब लोग जो मिल कर काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि आने वाले समय में आपको महसूस होगा कि यह टैक्सटाइल मिनिस्ट्री सही ढंग से काम कर रही है और सही स्वरूप से आने जाने का काम कर रही है।

मैं आपकी बहुत सी बातों से सहमत हूं, यहां सांसदों ने बहुत सी बातें बताईं। जो भी बात हमें सही लगेगी, तो हमारा मंत्रालय आपके प्रति जवाबदेह रहेगा और हम एक सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि हम हर क्षेत्र के बारे में जानते हैं। अभी लेह के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे और वहां पर रेशम के बारे में घोषणा करके आए थे। मैं अभारी हूं कि अभी माननीय मंत्री महोदया ने हस्तक्षेप किया और उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की। यह बात भी सही है, पर रेशम के मामले में हमारी अलग रुचि है। हमारा मंत्रालय और हमारे विभाग के सचिव इस मामले में विशेष रुचि रखते हैं। अभी हम लोगों ने विज्ञान भवन में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा रेशम के क्षेत्र में कार्यरत केवल महिलाओं को सम्मानित किया गया था। फरवरी के महीने में जब प्रधानमंत्री जी लेह गए थे, तब वे वहां पर घोषणा करके आए थे और पिछले महीने हम वहां पर उसके केन्द्र का उद्घाटन करके आए हैं। इसके हिसाब से हम पूरे देश के क्षेत्रों में तलाश कर रहे हैं, इस बीच में मुझे तिरुप्पुर जाने का मौका मिला, तो मुझे लगा कि यह वास्तव में टेक्सटाइल का हब है। इस काम को, इस क्षेत्र को कहां से कहां तक बढ़ा सकते हैं, यह हमारी समझ में भी आ रहा है। मैं यहां पर अपने सभी साथियों को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा, यहां पर सारे महत्वपूर्ण विचार हमको बताए गए। हम इस क्षेत्र को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने चाहते हैं। हम चाहते हैं कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की पहचान सही ढंग से बने और दुनिया के अंदर.... कल ही मैं गुजरात के कच्छ में था और वहां पर मैंने देखा कि एक कंपनी इस ढंग से तौलिए का निर्माण करती है कि बहुत बड़ी तादाद में, उसका सारा का सारा यानी हण्ड्रेड परसेंट आइटम एक्सपोर्ट होता है। इसको बढ़ावा देने की जरूरत है, इसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है।

5.00 P.M.

मैं यहां पर एक बात विशेष रूप में कहना चाहूंगा कि हम इस एन.टी.सी. की पहचान सही ढंग से बनाएं। लोग एन.टी.सी. के बारे में समझेंगे कि हां, एन.टी.सी. सही ढंग से काम कर रहा है और इसकी सही ढंग से एक पहचान बन रही है। कहने के लिए तो हम बहुत सारी बातें कह सकते हैं, पर दो-तीन बातें मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आज यहां पर हमारे कुछ सांसदों ने जूट को लेकर प्रदर्शन किया था। हम उनके कंसर्न से सहमत हैं और हम केवल इतना कह सकते हैं कि हमारा मंत्रालय कोई भी डायल्यूशन के लिए तैयार नहीं है और हमारी जानकारी में यह है कि 9 तारीख को सेक्रेटरीज़ की मीटिंग हो रही है, उसके अंदर उसका फैसला होगा और हमारी रुचि है कि इस समय जो व्यवस्था बनी हुई है, उसको वैसे ही चलाया जाए, उसमें कोई परिवर्तन न हो, कोई डायल्यूशन न किया जाए।

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: Sir, tomorrow a meeting has been convened by your Ministry. I have got the agenda papers. And, one of the agenda items is the dilution of compulsory jute packaging.

SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR: Sir, I am saying, at present there is no such proposal of that kind. मिनिस्टर्स बैठ कर जो बात करे, वह एक बात अलग समझ में आती है।

एक और समस्या है कि इस बारे में देश के अंदर कपास की पैदावार हर साल के मुकाबले बहुत ज्यादा हुई, 400 मिलियन बेल्स हुई है, पर दुर्भाग्य यह है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल एक्सपोर्ट में कुछ कमी हुई है। चीन बहुत बड़ी तादाद में हमसे कपास लेता था, जो कि अब नहीं ले रहा है। हमने पूरे देश के अंदर, जिन-जिन स्थानों पर कपास होती है, वहां-वहां पर अपने क्रय-केन्द्र खोल दिए हैं। हमने पिछले साल के मुकाबले ज्यादा केन्द्र बनाए हैं। अगर आपको कहीं पर भी समस्या नज़र आती है और उसके बारे में आप हमारे ऑफिस को बताएंगे तो हम उसकी चिन्ता करेंगे और उस ओर ध्यान देंगे।

माननीय श्री अठावले जी यहां पर नहीं हैं। वे कई बार "इन्दु मिल' के बारे में हमसे कह चके हैं। आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक बहुत बड़ा स्मारक बने, हम उनकी भावना से सहमत हैं। इस मामले में महाराष्ट्र सरकार से हमारी लगातार बात हो रही है और उनसे तय हो गया है कि जिस ढंग से भी वे इसे तय करना चाहें, हमारी सहमति उनके साथ है और हम उसी हिसाब से कार्य को प्रारंभ कर देंगे।

मैं आप सभी साथियों का बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने पूरा सहयोग दिया और हमारे साथ रहे। आपसे मेरा यही निवेदन है कि यह एक बहुत छोटा सा बिल है। हमारे एक भाई द्वारा इसमें एक संशोधन दिया गया है। मेरा उनसे निवेदन है कि वे इसे वापस ले लें। बाद में वे जब भी मिलेंगे तो हम मिल-बैठकर उनकी इन बातों को ध्यान में रखकर काम करने की कोशिश करेंगे। मैं फिर से आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : सर, गुजरात के कपास लेने के जो सेंटर्स हैं, हमारी एक रिक्वेस्ट उनके बारे में है। जैसे मेरी पुरानी कांस्टिट्यूएंसी में ये केवल चार ही हैं, जो कि किसी जमाने में कई सालों तक 25 हुआ करते थे। सर, दूसरी बात यह कि कपास का इस बार का जो भाव है, वह साढ़े आठ सौ रुपये है। इससे किसान का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, वह भी नहीं आ पा रही है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि इसको आप ज़रा बढ़ाइए, क्योंकि जिन किसानों ने आपको वोट दिया है, at least they feel happy about it.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Mr. Deputy Chairman, Sir, the Minister's reply is not an inclusive one. It looks to be an exclusive one. We were mentioning about the sick industries which have the scope for revival. This is the first point. Secondly, we want to know the thinking of the Union Government about the powerloom sector besides all other clothing patterns and weaving problems. But, he has not responded to the powerloom sector and the sick industries which can be revived. Thank you.

श्री भूपिंदर सिंह : सर, मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि ओडिशा में टेक्सटाइल क्लस्टर और टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कराई जाए। सर, अभी आपने कॉटन के बारे में बताया। पहले जितना कॉटन हमसे चाइना एक्सपोर्ट होता था, उसी तरह से हमें उनके यहां से इसे इम्पोर्ट करना चाहिए। हम उन्हें जितना रेशम देते हैं, उसी तरह से हमें उनसे लेना चाहिए। उनका सिल्क हमारे यहां के मुकाबले बहुत घटिया है, जबकि हमारा सिल्क बहुत ही उच्च कोटि का है। उसी मापदंड से मैं निवेदन करूंगा कि आप किसान रो रहा है। आप जो चाहते हैं, किसान वही पैदा करता है, लेकिन आज हम उसको मार्केट नहीं दे पा रहे हैं। हम "ब्रिक्स" में जाकर बात करते हैं और वहां चर्चा होती है, लेकिन कॉटन और रेशम पर ज़रा आप गौर कीजिए। **...(व्यवधान)**...

श्री बलविंदर सिंह भुंडर (पंजाब) **:** ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, जो-जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनका मंत्री जी ने बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिया है, लेकिन मेरा एक सज़ेशन है, जिसे सारे मेम्बर्स साहिबान ने बोला है। इस टाइम इस देश में कपास की पैदावार बहुत ज्यादा है। एक्सपोर्ट बंद हो गया है। कॉटन का इतना बुरा हाल है, किसान के रेट्स इतने low आ गए हैं कि वह सुसाइड करने के कगार पर आ गया है। आपके जो सेंटर्स हैं, वे चल रहे हैं, लेकिन आज इसका रेट 4,000 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि इसका रेट चार साल पहले 7,000 रुपये प्रति क्विंटल था। इसके इनपुट्स के रेट three times above चले गए, जबकि इसके रेट पहले से हाफ पर आ गए। इसलिए मेरी यह रिक्वेस्ट भी है और मेरा सज़ेशन भी है कि आप इसके लिए कुछ करें।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Minister, you may react to this, it is a very important point.

श्री संतोष कुमार गंगवार : सर इस बार मार्केट रेट ज्यादा नहीं है। पिछले साल कॉटन का रेट 4,000 रुपये था, लेकिन इस बार इसे 50 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। आपकी यह बात दुरुस्त है और हम इससे सहमत हैं, पर इससे रेट नीचे न जाए। इसका कारण यह समझ में आता

है कि चीन, जो कि हमसे कॉटन लेता था, उसने अपनी पॉलिसी बदल ली। हम इसके लिए मार्केट तलाश कर रहे हैं और कल हम इसी उद्देश्य से मुम्बई जा रहे हैं। वहां पर हम एक्सपोर्टर्स से बात करेंगे कि आप इसका एक्सपोर्ट करें ताकि इसका रेट ऊपर हो। आपकी चिन्ता से हम सहमत हैं।

मैं मिस्त्री जी को बताना चाहूंगा कि आप जितने सेंटर्स बता रहे हैं, उनकी जानकारी हम आपको भिजवा देंगे। इसके अलावा, अगर आपको और आवश्यकता होगी तो आप हमें सूचित कर देंगे तो हम उनके बारे में बता देंगे। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हम यह कोशिश कर रहे हैं कि एन.टी.सी. की जितनी भी सिक मिल्स हैं, उनमें से अधिकांश जो चल सकती हैं, उनको हम चलाएं। और उसमें हमारी रुचि भी है और इसमें आपको शिकायत नहीं मिलेगी। जैसा मैंने कहा कि 11 मिलें ऐसी हैं जो एन.टी.सी. चला रही है और उनमें से पांच इस समय फायदे में हैं। हम इसकी संख्या को और बढ़ाना चाहते हैं। हम उसके हिसाब से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारा मंत्रालय भी इस दिशा में काम कर रहा है। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि पांच मिलें प्रॉफिट में हैं, हम इस फिगर को पांच या छह नम्बर और बढ़ाकर कम से कम अगले तीन महीनों में 11 मिलों को फायदे में लाने का काम करेंगे। इसके बाद जो इस समय 79 मिलें बंद हैं विभिन्न कारणों से, ज्वाइंट वेंचर के जो 11 लोग आर्बिट्रेशन में चले गए थे, वे बंद हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उन सबको भी चलाने का काम करें और एक अच्छे प्रपोजल के साथ हम आपको समय-समय पर जानकारी देते रहेंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

That the Bill further to amend the Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Act, 1974 and the Textile Undertakings (Nationalisation) Act, 1995, in order to continue with the lease-hold rights vested in the National Textile Corporation on completion of lease-hold tenure, as passed by Lok Sabha be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill. In Clause 2, there is one Amendment by Shri Sukhendu Sekhar Roy. Mr. Sukhendu Sekhar Roy, are you moving your Amendment?

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: No, Sir.

Clause 2 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 3, there is one Amendment by Shri Sukhendu Sekhar Roy. Mr. Sukhendu Sekhar Roy, are you moving your Amendment?

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: No, Sir.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 4 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 5, there is one Amendment by Shri Sukhendu Sekhar Roy. Mr. Sukhendu Sekhar Roy, are you moving your Amendment?

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: No, Sir.

Clause 5 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 6, there is one Amendment by Shri Sukhendu Sekhar Roy. Mr. Sukhendu Sekhar Roy, are you moving your Amendment?

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: No, Sir.

Clause 6 was added to the Bill.

Clauses 7 and 8 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula, the Preamble and the Title were added to the Bill.

SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we take the Supplementary List of Business. Shri Jayant Sinha.

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL) 2014-15

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAYANT SINHA): Sir, I beg to lay on the Table, a statement (in English and Hindi) showing the Supplementary Demands for Grants (General), for the year 2014-15 (December, 2014).

GOVERNMENT BILLS — *Contd.*

The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2014

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चन्द गहलोत) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।

अगर आपकी अनुमति हो तो कुछ बोलूं?